



# प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

उप निरीक्षक (रैंकर) प्रशिक्षण  
प्रशिक्षण अवधि :- 06 माह

उत्तराखण्ड पुलिस

**पाठ्यक्रम  
उप निरीक्षक (रैंकर) प्रशिक्षण  
अवधि 06 माह**

**कालांश विवरण अन्तः कक्षीय विषय**

क्र०सं०	प्रशिक्षण विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	06 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	183 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	43 दिवस
4	जंगल ट्रेनिंग	03 दिवस
5	फायरिंग	04 दिवस
6	मध्यावधि वस्तुनिष्ठ परीक्षा	01 दिवस
7	अन्तिम वस्तुनिष्ठ परीक्षा	03 दिवस
8	फायरिंग	03 दिवस
9	बाह्य विषय की अन्तिम परीक्षा हेतु	06 दिवस
10	प्रशिक्षण समापन	01 दिवस
11	<b>बाह्य प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस</b>	<b>183-64=119 दिवस</b>
12	प्रतिदिन कालांश की संख्या	06 कालांश
13	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट
बाह्य विषय प्रशिक्षण हेतु कालांश		<b>119x6=714 कालांश</b>

**अन्तः कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण**

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	प्रथम समूह- विधि प्रथम-भारतीय दण्ड विधान/दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम	110	100
2	द्वितीय समूह- विधि द्वितीय-"विविध अधिनियम एवं केस लॉ।"	94	100
3	तृतीय समूह- कानून एवं व्यवस्था, पुलिस रेगुलेशन एवं प्रशासन	100	100
4	चतुर्थ समूह-अपराध, अपराध निरोध एवं विवेचना तथा अभियोजन।	120	100
5	पंचम समूह- विधि विज्ञान एवं विधि औषधि तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण।	90	100
6	षष्ठम समूह- भा०संविधान, मानवाधिकार तथा चुनौतियाँ, पुलिस का आचरण एवं व्यवहार तथा सामान्य ज्ञान।	100	100
7	सप्तम समूह-कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस एवं पुलिस दूरसंचार प्रणाली।	100	100
<b>योग -</b>		<b>714</b>	<b>700</b>

## कालांश विवरण बाह्य कक्ष विषय

क्र०सं०	प्रशिक्षण विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	06 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	183 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	43 दिवस
4	जंगल ट्रेनिंग हेतु	03 दिवस
5	अन्तः कक्ष की अन्तिम वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु	04 दिवस
6	बाह्य विषय की अन्तिम परीक्षा हेतु	06 दिवस
7	दीक्षान्त समारोह हेतु	05 दिवस
8	बाह्य प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस	183-61=122 दिवस
9	प्रतिदिन कालांश की संख्या	04 कालांश
10	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट
11	बाह्य विषय प्रशिक्षण हेतु कालांश	122x4=488 कालांश

## बाह्य कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	पदादि प्रशिक्षण	82	50
2	पुलिस प्रशिक्षण	95	70
3	शस्त्र प्रशिक्षण	70	100
4	शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक दक्षता	72	80
5	फील्ड क्राफ्ट एवं दस्यू उन्मूलन तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण तथा बी०ओ०ए०सी०	88	80
6	मोटर वाहन ( जीप एवं मोटर साईकिल ) प्रशिक्षण	35	20
.....	श्रमदान	46	.....
<b>योग -</b>		<b>488</b>	<b>400</b>

## सम्पूर्ण अंको का विवरण

क्र०सं०	विवरण	अंक
1	अन्तः विषयों के कुल अंक	700
2	बाह्य विषयों के कुल अंक	400
3	प्रधानाचार्य / साक्षात्कार अंक	100
<b>कुल योग</b>		<b>1200</b>

## परीक्षा संक्षेप

1. प्रशिक्षण अवधि में तीन माह के उपरान्त अन्तः कक्ष विषयों की एक मध्यावधि वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में अन्तः कक्ष विषयों के सभी समूहों का एक संयुक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा। जिसमें सभी समूहों के समान प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में प्राप्त अंको की श्रेणी के आधार पर साक्षात्कार अंको में अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेंगे।
2. अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार ( Objective ) प्रकार की आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में सभी समूहों के अलग-अलग प्रश्न-पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा समय एक घंटा होगा। प्रतिदिन दो प्रश्न-पत्र आयोजित कराये जायेंगे।
3. उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः कक्ष एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
4. उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम निम्नानुसार निर्धारित होगा।
  - (क) प्राप्तांको के आधार पर।
  - (ख) प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भर्ती की वरिष्ठता के आधार पर।
  - (क) प्राप्तांको एवं भर्ती की तिथि समान होने पर जन्मतिथि में वरिष्ठता के आधार पर
5. अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं को एक माह का पूरक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त संबंधित विषयों की पूरक परीक्षा ली जायेगी। इन प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम के नीचे क्रमश उक्तानुसार निर्धारित किया जायेगा।

क्र०सं०	विवरण	अंक
1	अन्तः विषयों के कुल अंक	700
2	बाह्य विषयों के कुल अंक	400
3	प्रधानाचार्य/साक्षात्कार अंक	100
कुल योग		1200

प्रधानाचार्य/साक्षात्कार हेतु 100 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार है।

(अ) 50 अंक प्रशिक्षुओं की अन्तः कक्ष एवं वाह्य कक्ष विषय प्रशिक्षकीय/खेल-कूद/सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित है :-

क- प्रशिक्षण के दौरान खेलों के लिये अधिकतम	05 अंक
ख- विशेष गतिविधियों के लिये अंक- 05 1. कक्षा मॉनीटर - 05 अंक 2. टोली कमांडर - 03 अंक 3. मैस मैनेजर - 02 अंक नोट :- यदि प्रशिक्षु द्वारा एक या एक से अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया गया है तो उसे अधिकतम 05 अंक ही प्रदान किये जायेंगे।	05 अंक
ग- प्रशिक्षण के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अधिकतम	05 अंक
घ- प्रोजेक्ट रिपोर्ट / सामूहिक प्रस्तुतीकरण के लिए- 15 अंक 1. प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु :- 10 अंक 2. सामूहिक प्रस्तुतीकरण तथा ग्रुप /कक्षा के प्रतिनिधित्व हेतु - 05 अंक	15 अंक
घ- प्रशिक्षण की मध्यावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर - 20 अंक 1. विशेष योग्यता श्रेणी 85 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर - 20 अंक 2. प्रथम श्रेणी 75 प्रतिशत से 84.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर - 15 अंक 3. द्वितीय श्रेणी 65 प्रतिशत से 74.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर - 12 अंक 4. तृतीय श्रेणी 50 प्रतिशत से 64.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर - 10 अंक	20 अंक

(ब) शेष 50 अंक प्रशिक्षार्थी के अन्तः एवं वाह्य विषयों के ज्ञान, प्रशिक्षण में ली गई रूचि, अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरस्कार तथा कर्तव्यनिष्ठा इत्यादि को ध्यान में रखकर साक्षात्कार के आधार पर दिये जायेंगे। इस साक्षात्कार में प्रशिक्षुओं के अन्तःविषय एवं वाह्य विषय प्रशिक्षक प्रशिक्षक सम्मिलित किये जायेंगे, ताकि प्रशिक्षुओं का पूर्ण आंकलन हो सके।

(स) निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंको में से ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे।

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. गम्भीर अनुशासनहीनता  | :- 25 अंक |
| 2. अवज्ञा   | :- 10 अंक |
| 3. आदेश कक्ष (ओ0आर0) में दण्ड   | :- 03 अंक |
| 4. डिफाल्टर/चेतावनी   | :- 02 अंक |
| 5. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश ,<br>सिक, रेस्ट, अस्तपताल दाखिल 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम | :- 10 अंक |

### पाठ्यक्रम आंतरिक विषय

अध्याय	विवरण
अध्याय-3	दंड के विषय में धारा 53 एवं 75
अध्याय-4	साधारण अपवाद धारा 76 से 106 तक
अध्याय- 5	दुष्प्रेरण के संबंध में धारा 107 से 109, 112, 114
अध्याय-5 क	आपराधिक षडयंत्र धारा 120क एवं 120 ख
अध्याय 6	राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 121, 121क एवं 122
अध्याय 8	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध धारा 141 से 160
अध्याय 9	लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध धारा 166 से 170
अध्याय 9 क	निर्वाचन से संबंधित अपराध धारा 171क से 171 झ तक
अध्याय 10	लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकारी के अवमान के संबंध में धारा 172,174 से 177, 180,182, 185 से 189
अध्याय 11	मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराध धारा 191 से 193, 201, 211 एवं 221 से 225
अध्याय 14	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 272 से 276, 279,292,294
अध्याय 15	धर्म से संबंधित अपराध धारा 295, 295ए
अध्याय 16	प्रथम —मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में धारा 299 से 304, 304ए, 304बी,307 से 309, 312 से 315
अध्याय 16	द्वितीय मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 319 से 326, 332, 333, 336, 337, 338
अध्याय 16	तृतीय मानव शरीर संबंधी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धारा 339 से 341
अध्याय 16	चतुर्थ मानव शरीर पर आपराधिक बल और हमले के संबंध में धारा 353,354
अध्याय 16	पंचम व्यपहरण ,अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में धारा 359से 363ए, 364, 364ए, 366,
अध्याय 16	षष्ठम बलात्संग के विषय में धारा 375, 376, 376ए से 376 डी
अध्याय 17	प्रथम सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चोरी विषयक धारा 378 से 382
अध्याय 17	द्वितीय उद्यापन के विषय में धारा 383 एवं 384
अध्याय 17	तृतीय लूट और डकैती के विषय में धारा 390 से 396 व 399 से 402
अध्याय 17	चतुर्थ सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में धारा 403 सं 406 व 409
अध्याय 17	पंचम चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में धारा 410 से 414
अध्याय 17	षष्ठम छल के विषय में धारा 415 से 417, 419 व 420
अध्याय 17	सप्तम हानि के विषय में धारा 425, 426,429,435,436 441 से 448, 454 व 457
अध्याय 18	प्रथम दस्तावेजों और सम्पत्ति के चिन्हों संबंधी अपराध के विषय में धारा 463, 464, 466, 467, 468, 470, 471 व 472
अध्याय 18	द्वितीय करेन्सी नोटों का कूटकरण धारा 489ए से 489 ई
अध्याय 20	द्वितीय पति अथवा पति के सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता के विषय में धारा 498ए
अध्याय 22	आपराधिक अभित्रास अपमान एवं क्षोभ धारा 504, 505, 506, 509 भा0द0वि0
अध्याय 23	अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में धारा 511

**कालांश :- 40**

अध्याय	विवरण
अध्याय-1	परिभाषायें धारा 2ए से 2 वाई
अध्याय-4	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों) धारा 36, 37, 40 द0प्र0सं0
अध्याय- 5	व्यक्तियों की गिरफ्तारियाँ (यथा संशोधित 2006) धारा 41 से 60 द0प्र0सं0
अध्याय- 6	हाजिर होने को विवश करने के लिये आदेशिकायें (संशोधित 2006) धारा 61 से 86, 87 से 90
अध्याय-7	वस्तुयें प्रदान करने हेतु आदेशिकायें(यथा संशोधित 2006) धारा 91 से 94,97,98,99से 102
अध्याय 8	(परिशांति स्थापित करने के लिये, सदाचार के लिये प्रतिभूति) धारा 106, 107, 109, 110 द0प्र0सं0
अध्याय 10	लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना धारा 129 से 132, 133,144,145, 149 से 152
अध्याय 12	पुलिस को सूचना और अन्वेषण करने की शक्तियाँ (यथा संशोधित 2006) धारा 154,155, 156 से 159, 160 से 164, 165 से 169,173,174से 176
अध्याय 14	कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये अपेक्षित शक्ति (यथा संशोधित 2006) धारा 190 से 199
अध्याय-23	जॉचों एवं विचारणों में विचारणों में साक्ष्य (यथा संशोधित) धारा 299
अध्याय-24	जॉचों एवं विचारणों के संबंध में साधारण उपबंध धारा 306
अध्याय-26	न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध धारा 350 (धारा 195)
अध्याय-33	जमानत एवं बंध पत्रों के बारे में उपबंध (यथा संशोधित 2006) धारा 436 से 439 एवं 446
अध्याय-34	संपत्ति का व्ययन धारा 451 से 459
अध्याय-36	अपराधों के संज्ञान करने के लिये परिसीमा काल धारा 468 से 473

**भारतीय साक्ष्य अधिनियम**

**कालांश :- 20**

अध्याय	विवरण
अध्याय-1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय एवं तथ्यों की सुसंगति धारा 3, 6 से 11
अध्याय-2 ख	स्वीकृतियों धारा 17, 24 से 27
अध्याय- 2 ग	उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता धारा 32(1)
अध्याय-2 छ	अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है धारा 45 से 47, 51
अध्याय 4	मौखित साक्ष्य के विषय में धारा 59 एवं 60
अध्याय 5	दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में धारा 61 से 65क, 65ख, 67, 69, 74 से 78, 85क, 85 ख
अध्याय 7	सबूत के भार के विषय में धारा 101, 102, 106, 113क, 113ख, 114, 114 क
अध्याय 9	साक्ष्यों के विषय में धारा 118, 119
अध्याय 10	साक्षियों के परीक्षण के विषय में धारा 135, 137

द्वितीय समूह-विधि द्वितीय (केन्द्रीय विविध अधिनियम एवं राज्य के अधिनियम तथा केस लॉ)

(1) उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 – सम्पूर्ण

## केन्द्रीय विविध अधिनियम

1	आयुध अधिनियम 1959 सम्पूर्ण अधिनियम
2	भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1854 धारा 3,4, 5 व 9बी
3	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 धारा 1 से 7
4	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 2से 7, 12, 13, 15, 17
5	विधि विरुद्ध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम- 1967 (यथा संशोधित 2004) धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 14, 15 से 22,25
6	शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1956 धारा 1 से 4, 7 से 13
7	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 महत्वपूर्ण धारायें
8	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 2 से 7, 10,13,16,17,19,20,22
9	भारतीय विधुत अधिनियम 2003 महत्वपूर्ण धारायें
10	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 2 से 11
11	दहेत प्रतिषेध अधिनियम-1986 धारा 2 से 8
12	स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 8, 15 से 32, 36अ, 41से 68 एवं महत्वपूर्ण नियम
13	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम- 2000 महत्वपूर्ण धारायें (यथा संशोधित 2006)
14	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2, 9 से 17, 27, 32, 36, 37, 39 से 57
15	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 11 से 13, 31 से 34 एवं 36
16	पशु अतिचार अधिनियम 1871 धारा 3 से 11, 19, 20, 24 से 27
17	सार्वजनिक जुआ अधिनियम-1867 धारा 1 ,3 से 13, 15, 16
18	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
19	अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम- 1956 धारा 1 से 18, 20, 21
20	लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 धारा 2 से 6
21	इण्डिया पासपोर्ट एक्ट 1920 एवं पासपोर्ट एक्ट 1967 एवं रूल्स धारा 2, 3, 12, 13, 14
22	नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 2 से 10, 13 से 17
23	प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 धारा 2, 9 से 13, 15, 16, 20, 21
24	इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 3, 4, 5, 6, 8
25	धार्मिक संस्था दुरुप्रयोग निवारण अधिनियम 1988
26	द प्लेस ऑफ दर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991
27	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1994
28	प्राचीन संस्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1950 धारा 30 से 32
29	सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 धारा 65 से 80
30	कॉपी राइट एक्ट 1957 धारा 2, 3, 52क, 63, 63क, 64, 65, 65क, 68
31	मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित) धारा 2 से 5, 39, 66, 112, 128, 129, 132, 133, 177, 179, 183, 184, 185, 192, 192ए, 194, 196, 197, 202 से 207
32	मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 धारा 2, 11, 12, 18 से 22



33	भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1994 (यथा संशोधित 2003) महत्वपूर्ण धारायें
34	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 123 से 135, 139
35	राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971
36	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण धारायें
37	धनशोधन (निवारण) अधिनियम 2002 महत्वपूर्ण धारायें
38	दि प्राइवेट सिक्क्यूरिटी एजेन्सीज (रेग्युलेशन) एक्ट 2005 महत्वपूर्ण धारायें

## स्थानीय अधिनियम

1	उ०प्र० गिरोहबन्द एवं असामाजिक कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 2 से 4, 14, 19
2	उ०प्र० गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 धारा 3, 4, 10
3	उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 धारा 3,4,6, 42, 45, 48 से 52, 54 से 70, 72
4	उत्तराखण्ड गोवध निवारण अधिनियम 2007
5	उ०प्र० वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 धारा 4 एवं 10
6	उ०प्र० विद्युत तार ट्रान्सफार्मर चोरियों का निवारण तथा दण्ड अधिनियम 1976 धारा 2 से 6
7	उ०प्र० अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (अधि०सं० 30/1966)
8	संयुक्त राज्य विशेष शक्तियों अधिनियम 1932 धारा 2 से 4, 6 से 9, 13

## केस लॉ

### संविधान एवं मानवाधिकार

1. **खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (ए०आई०आर० 1963 मा० सर्वोच्च न्यायालय)**  
बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र पर्यवेक्षण के नाम पर किसी व्यक्ति के घर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहाँ जाकर उसकी उपस्थिति दर्ज करना स्पष्टता उस व्यक्ति के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है
2. **हथकड़ी का प्रयोग**  
**सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099**  
**सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743**  
इन विधि व्यवस्थाओं में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।
3. **परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए०आई०आर० 1989 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)**  
एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कही अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सक को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किये किया जाना चाहिये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) पंजीकृत हुई अथवा नहीं।
4. **नीलावती बेहरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एस०सी०सी० 1993 पृष्ठ 746)**

पुलिस अभिरक्षा के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर राज्य को पुलिस कर्मियों के दोषपूर्ण कृत्यों के लिये उस नागरिक को मुआवजा देना होगा।

5. **दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642**  
**जोगेन्द्र कुमार बनाम उ०प्र० राज्य 1994 सीआरएलजे 1981**  
गिरफ्तारी के समय के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये हैं।
6. **विशाखा बनाम स्टेट आफ राजस्थान (एआईआर 1997 मा० सर्वोच्च न्यायालय)**  
कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न न किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश।
7. **बीनू गोपाल बनाम आन्ध्र प्रदेश (कि०लॉ०ज० 1964 पृष्ठ 16)**  
पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बयान देने के लिए दबाव डालने हेतु मारने पीटने या निरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।
8. **नंदिनी सत्पति बनाम पी०एल० दानी राज्य (1978 एससीसी पृष्ठ 424)**  
विवेचनाधिकारी किसी अभियुक्त/संदिग्ध पर शारीरिक /मानसिक या अन्य दबाव नहीं डालेगा तथा अभियुक्त /संदिग्ध हिरासत के दौरान वह विधिक सहायता हेतु विधि परामर्शी की बुला सकता है।
9. **अंतिम रिपोर्ट**  
**भगवंत सिंह बनाम पुलिस कमिशनर 1985 एससीसी 246 (सर्वोच्च न्यायालय)एससीसी 2001 पृष्ठ 719**  
अंतिम रिपोर्ट लगाये जाने के उपरान्त उसे न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्टकर्ता का पक्ष सुनें, स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये। यह तथ्य इन विधि व्यवस्थाओं में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है।
10. **रघुवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (ए०सी०सी० 1995 पृष्ठ 216 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)**  
यदि थाना प्रभारी की गिरफ्तारी है तो उसका अधीनस्थ उस अभियोग की विवेचना नहीं कर सकता।
11. **जोगेन्द्र नाहक बनाम उड़ीसा राज्य (ए०आई०आर० 1999 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2565)**  
धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान केवल विवेचक के प्रार्थना-पत्र पर ही लिखे जायेंगे।
12. **सुरेन्द्र त्रिपाठी आदि बनाम उ०प्र० राज्य एससीसी 2001 पृष्ठ-726(उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)**  
विधि विरुद्ध आधिपत्य यदि मान्य है तब उसे संपत्ति के मालिक द्वारा भी बल प्रयोग करके नहीं निकाला जा सकता है। मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है।

- 13 **सुन्दरभाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य(उम0नि0प0 2003 पृष्ठ 338)**  
पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति के धारा 451 एवं 457 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निस्तारण के बारे में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं।
14. **किशन पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एसीसी 2006 पृष्ठ 1015)**  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत मामले के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस एवं न्यायालय को दिये हैं।
15. **मनीषरतन व अन्य बनाम म0प्र0राज्य व अन्य 2007 (57) ए0सी0सी0 264 मा0सर्वोच्च न्यायालय सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशान्त कुमार मुखर्जी 1997 (35) एसीसी 108 मा0सर्वोच्च न्यायालय**  
किसी विवाहिता से दहेज की माँग एवं क्रूरता उसकी ससुराल एवं मायके में, जहाँ वह वर्तमान में निवास करती है, की गई है, तब अभियुक्त के विरुद्ध दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान पर अभियोग का विचारण हो सकता है।
- 16 **ब्रजलालभर बनाम उ0प्र0 राज्य 2006 (55) एसीसी 864 मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद**  
यदि थाने पर मामला अंसज्ञेय मामले के रूप में (एन0सी0आर0) दर्ज होता है और बाद में साक्ष्य के आधार पर संज्ञेय मामले में परिवर्तित हो जाता है तो , विवेचना करने के लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 17 **तापस डी0 नियोगी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1999 कि0ला0ज0 4305 सर्वोच्च न्यायालय**  
अभियुक्त का बैंक एकाउन्ट धारा 102 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के दौरान ऐसे एकाउन्ट को सीज करने का या उसका परिचालन बन्द करने का अधिकार है।
- 18 **धारा 27 सा0अधि0 की बरामदगी**  
**सुनील व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली राज्य) एसीसी 2001 पृष्ठ 223 (उच्चतम न्यायालय)**  
धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा की गई बरामदगी इस कारण अविश्वसनीय नहीं होगा कि अभिलेखों पर निष्पक्ष/स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर पुलिस ने नहीं कराये।
- 19 **मृत्युकालीन कथन**  
**उकरान बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय)**  
मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है।

भाग :- 01 (कानून एवं व्यवस्था)

1. कानून एवं शांति व्यवस्था का महत्व ।
2. कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में जनता की भागीदारी की आवश्यकता एवं महत्व ।
3. कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में उ0प्र0 पुलिस रेग्यूलेशन, पुलिस एक्ट, दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रमुख प्राविधान ।
4. थाना स्तर पर कानून एवं व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता व उसके आधार :-
  - (क) संवेदनशील तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करना ।
  - (ख) असाजिक तत्वों के संबंध में अभिसूचना एकत्र करना ।
  - (ग) थाने के अभिलेखों को अध्यावधिक रखना ।
5. थाना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में निम्न का योगदान
  - (क) थाना बीट्स ।
  - (ख) थाना पुलिस द्वारा गश्त ।
  - (ग) थाना पुलिस द्वारा निगरानी ।
  - (घ) थाना पुलिस द्वारा गाढाबन्दी
6. भीड़ नियंत्रण
  - (क) भीड़ के प्रकार
  - (ख) भीड़ का मनोविज्ञान व व्यवहार
  - (ग) भीड़ नियंत्रण के सिद्धांत एवं रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता ।
  - (घ) शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्यवाही
  - (ङ) आशंकित खतरे की रोकथाम हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही ।
  - (च) थाना की दंगा नियंत्रण योजना का ज्ञान अभ्यास एवं कार्यवाही ।
  - (छ) साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस ड्युटी—कर्तव्य एवं सावधानियाँ
  - (ज) औद्योगिक विवादों के समय पुलिस व्यवस्था (बन्द, हड़ताल व प्रदर्शन) आदि ।
  - (झ) हिंसक आन्दोलन व विधि विरुद्ध जमाव (साम्प्रदायिक, राजनैतिक, विद्यार्थी वर्ग, मजदूर वर्ग)
  - (ण) हिंसक आन्दोलन के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधान जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है ।

## 7. मेला प्रबन्ध :-

- (क) मेला क्षेत्र का निरीक्षण/मेला क्षेत्रों को सेक्टरों में बाटकर पुलिस बल की नियुक्ति करना।
- (ख) यातायात, पार्किंग, संचार, वाच टावर इत्यादि की व्यवस्था।
- (ग) घुड़सवार, अग्निशमन पुलिस तथा मेला यदि नदी किनारे है तो जल पुलिस की व्यवस्था।
- (घ) रिजर्व पुलिस बल की व्यवस्था।
- (ङ) अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त व्यवस्था आदि।
- (च) अभिसूचना संकलन हेतु विभिन्न श्रोतो का उपयोग।
- (छ) मेले हेतु नौटंकी/जादू/मौत का कुआं एवं अन्य मनोरंजन के साधनों का परमिट जारी करने से पूर्व सावधानियाँ।

## 8. त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था

- (क) त्यौहारों का प्रबंध व पुलिस की भूमिका।
- (ख) त्यौहार रजिस्टर में पर्व संबंधी नोट्स का अवलोकन करना।
- (ग) संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की नियुक्ति करना।
- (घ) अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करना।
- (ङ) यातायात व्यवस्था करना।
- (च) शान्ति भंग करने वालों के विरुद्ध समय रहते कार्यवाही करना आदि।

## 9. चुनाव के समय पुलिस की व्यवस्था:-

- (क) संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित करना व अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करना।
- (ख) मतदान केन्द्रों पर समय से ड्यूटी हेतु पहुँचना।
- (ग) मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की शान्तिपूर्वक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना।
- (घ) अपने व्यवहार में निष्पक्षता रखना।
- (ङ) बैलेट बॉक्स व वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना।
- (च) मतगणना के समय शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
- (छ) चुनाव परिणामों के बाद विजय जलुसों के समय शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
- (ज) विधि विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

## 10. यातायात नियंत्रण एवं प्रबंधन :-

- (क) यातायात के सामान्य सिद्धांत, विधि एवं मोटर गाड़ी नियम 1988— 27, 42, 78, 79, 84 से 86, 88, 102, 116, 136, 141, 164
- (ख) यातायात चिन्ह एवं सिग्नलो का ज्ञान।

- (ग) टैफिक इंजीनियरिंग – क्रासिंग, द्वीप एवं सिगनल्स ।
- (घ) विभिन्न स्थितियों जैसे-सामान्य यातायात, भारी यातायात, एकमार्गीय यातायात एवं विशिष्ट व्यक्ति के आगमन के समय यातायात व्यवस्था की योजना ।
- (ङ) राजमार्गों पर यातायात के नियम एवं आचरण ।
- (च) ट्रैफिक जाम के समय यातायात व्यवस्था ।
- (छ) यातायात सुरक्षा संबंधी नियम ।
- (ज) हाइवे पैट्रोलिंग तथा ट्रैफिक बीट्स एवं व्यवस्थापन ।
- (झ) वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैशर/बत्ती तथा हूटर व साइरन के प्रयोग करने संबंधी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की जानकारी
- (ण) यातायात कार्यों में जनता एवं विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में तालमेल ।
- (ट) वाहनों का पंजीकरण एवं नियंत्रण
- (ठ) वाहनों का बीमा एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का मुआवजा ।

**11. सुरक्षा कर्तव्य/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था :-**

- (क) व्यक्तियों एवं संस्थानों की सुरक्षा का महत्व एवं आवश्यकता ।
- (ख) सुरक्षा एवं गार्ड ड्युटी
- (ग) गार्ड ड्युटी के प्रकार-कटटरपंथ एवं राजद्रोहात्मक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र के परिपेक्ष्य में ।
- (घ) धमकी से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा ।
- (ङ) एस्कार्ट एवं कानवॉय की सुरक्षा ।
- (च) सुरक्षा ड्युटी-व्यवस्थापन एवं योजना ।
- (छ) महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डो, वायुयानो, रेलवे, औद्योगिक संस्थानो, सार्वजनिक महत्व के भवनों एवं सीमाओं की सुरक्षा ।
- (ज) संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा ।
- (झ) सार्वजनिक/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बम एवं विस्फोटकों से सावधानियों व सुरक्षा ।
- (ण) आत्मघाती हमला/फिदाइन अटैक ।
- (ट) विदेशियों एवं जासूसों पर नियंत्रण संबंधी विधि ।
- (ठ) अभिलेखों एवं सूचना तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था ।

**12. विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था ड्युटी तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था :-**

- (क) विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर पुलिस व्यवस्था एवं किये जाने वाले प्रबंध की रूपरेखा ।
- (ख) विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के नियम ।
- (ग) विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मानक ।
- (घ) विशिष्ट व्यक्तियों के आने-जाने वाले मार्ग पर की जाने वाली व्यवस्था ।

(ड) विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम स्थल पर ठहरने के स्थान पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था।

### 13. आपदा प्रबंधन :-

- (क) आकस्मिक दुर्घटनाओं-भूकम्प, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ, तूफान, अतिवृष्टि इत्यादि के दौरान पुलिस की कार्य योजना एवं उत्तरदायित्व  
(ख) सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं में पुलिस की कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।  
(ग) अग्निशमन/बचाव कार्य  
(घ) आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय नीति एवं जिला स्तरीय योजनायें।  
(ङ) आपदा प्रबन्धन के संबंध में अन्य विभागों से सामंजस्य।  
(च) राहत सेवाओं के रख-रखाव के प्राविधान।  
(छ) उत्तरकाशी अथवा चमोली में आये भूकम्प के संबंध में केस अध्ययन।  
(ज) विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।

### भाग- 02 (पुलिस रेग्युलेशन एवं कर्तव्य तथा पुलिस संगठन )

#### 1. पुलिस रेग्युलेशन :-

अध्याय-9 ग्राम पुलिस पैरा 89 से 93 व 95

अध्याय-10 थाने में की गयी रिपोर्ट

अध्याय-11 अनुसंधान

अध्याय-12 पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार

अध्याय-13 गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा

अध्याय-14 सम्पत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण

अध्याय-15 विशेष अपराध

अध्याय-17 गश्त और नाकाबन्दी

अध्याय-18 विशेष गार्द और अतिरिक्त पुलिस

अध्याय-19 फरार अपराधी

अध्याय-20 बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी

अध्याय-22 अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज

अध्याय-23 पुलिस थाने पर रखे जाने गये अभिलेख

अध्याय-25 जन्म मरण की रिपोर्ट पैरा 322, 325 से 327

अध्याय-26 अकाल के समय पुलिस अधिकारियों को मार्गदर्शन के निर्देश

अध्याय-27 विशेष विधियाँ और नियमों के अधीन कर्तव्य

अध्याय-32 पुलिस अधिकारी के विभागीय दण्ड एवं उनका अभियोजन पैरा 495, 496, 500, 501, 505 से 507

ड्रेस रेग्युलेशन

## प्रशासन

1. उत्तराखण्ड का प्रशासनिक ढाँचा।
2. पुलिस का विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर अन्य विभागों से संबंध।
3. भू-अभिलेख एवं पैमाइश।
4. राजस्व पुलिस व्यवस्था-कार्यक्षेत्र एवं अधिकार तथा पुलिस से समन्वय।

### 5- केन्द्रीय पुलिस संगठन-उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

1. आई०बी०
2. आर०एण्डए० डब्लू० (रॉ)
3. सी०बी०आई०
4. सी०आई०एस०एफ०
5. एन०एस०जी०
6. एस०पी०जी०
7. एस०एस०बी०
8. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
9. एन०सी०आर०बी०
10. केन्द्रीय फिंगर ब्यूरो-कोलकाता
11. केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला-नई दिल्ली, चण्डीगढ़, कोलकता, हैदराबाद
12. संदिग्ध अभिलेखों को सरकारी परीक्षण कार्यालय शिमला, कोलकाता, हैदराबाद।

### 6- सहायक इकाईयों

1. होमगार्ड संगठन एवं कार्य
2. नागरिक सुरक्षा संगठन एवं कार्य
3. ग्राम/मोहल्ला सुरक्षा समितियों/प्रान्तीय रक्षा दल
4. विशेष पुलिस

7- उ०प्र० पुलिस अधिनस्त श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली- 1991

8- उ०प्र० राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली-संपूर्ण

9-गार्डस एवं स्कोर्ट रूल्स नियम संख्या- 7 से 10, 12, 14, 15, 17 से 19, 21, 22, 24, 32, 37, 62, 76, 106, 153, 163, 185, 194, 196, 197



(क) अपराध एवं दण्ड शास्त्र :-

1. अपराध की परीभाषा, तत्त्व, प्रकार एवं अपराधियों के प्रकार।
2. अपराध के कारण एवं सिद्धान्त।
3. अपराध का निवारण एवं दण्ड शास्त्र।
4. बाल अपराध के प्रकार व कारण एवं रोकथाम के प्रभावी उपाय।

(ख) अपराध निरोध :-

1. गश्त, प्रकार एवं नियम व उसकी उपयोगिता
2. निगरानी तथा इसके प्रकार एवं तरीके व महत्व
3. गाढाबन्दी एवं इसके प्रकार तथा इसकी उपयोगिता
4. ग्राम सुरक्षा समितियाँ/मौहल्ला सुरक्षा समितियाँ की अपराध निरोध में उपयोगिता
5. सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों/आम्नेयास्त्र लाइसेंस धारकों की सहायता प्राप्त करना तथा चौकीदारों से सहयोग प्राप्त करना।
6. अपराधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा जनता की शिकायतों की जाँच।

(ग) निरोधात्मक कार्यवाही :-

1. 107, 116, 116(3) की प्रभावी कार्यवाही
2. 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही व अपराध की रोकथाम।
3. 129 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही व अपराध की रोकथाम।
4. 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रभावी प्रयोग (कफर्यू लगाने के संबंध में विशेष रूप से)
5. सम्पत्ति विवाद व 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रभावी प्रयोग।

(घ) आपराधिक अभिलेख :-

1. थाने के अभिलेखों की जानकारी एवं उनकी उपयोगिता तथा रख-रखाव
2. पुलिस अधीक्षक कार्यालय (विभिन्न पेशियों/क्षेत्राधिकारी कार्यालय तथा अभियोजन कार्यालय में रखे जाने वाले आपराधिक अभिलेख)
3. डी०सी०आर०बी० व राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एस०सी०आर०बी०) के अपराध संबंधी अभिलेख एवं उपयोगिता
4. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०)के अपराध संबंधी अभिलेख एवं उपयोगिता।
5. हिस्ट्रीशीट एवं ग्राम अपराध पुस्तिका का विस्तृत ज्ञान।

**(ड़) अपराध के अन्य स्वरूप :-**

1. साइबर क्राइम
2. आर्थिक अपराध
3. संगठित अपराध

**(च) विवेचना (व्यवहारिक पक्ष) :-**

1. विवेचना क्या है, सोच/प्रक्रिया तथा इसमें होने वाली त्रुटियाँ।
2. विवेचना के सिद्धांत एवं विवेचक के गुण।
3. प्रारम्भिक विवेचना व इसकी उपयोगिता, घटनास्थल पर पहुँचने वाले विवेचक द्वारा की जाने वाली प्रारम्भिक कार्यवाही।
4. गहन विवेचना, सांकेतिक सूत्र तथा तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थान व गुर, सांकेतिक सूत्रों का दोषदर्शी विश्लेषण, विवेचना के सहयोगी कथन, विवेचक को दिग्भ्रमिक करने वाले बिन्दु।
5. घटनास्थल का निरीक्षण व आपेक्षित कार्यवाही—रेखाचित्र, फोटोग्राफी, खोजी साक्ष्य व उनका भौतिक संकलन
6. साक्षियों की पूछताछ एवं उपयोगी साक्षियों को चिन्हित करना तथा पूछताछ के गुर व सावधानियाँ, दैनिक भाषा
7. सूत्रों मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना, सावधानियाँ, आपराधिक सूचना सूचना के विभिन्न श्रोत व उनका उपयोग करने में सावधानियाँ, उपयोगी सूत्रों की तलाश
8. अपराधिक कार्य प्रणाली— आधारभूत तथ्यों का वर्गीकरण, विशिष्ट सूत्रों का सूक्ष्म अवलोकन, कार्यप्रणाली विधि की सीमायें, अधिसूचित संवर्ग (पूर्व आपराधिक जातियाँ)
9. संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ —पूछताछ के सामान्य सिद्धांत व सावधानियाँ एवं बल प्रयोग।
10. संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ — पूछताछ के विभिन्न प्रकार तथा गुर, पूछताछ कक्ष व पूछताछ की अन्य सहयोगी विधायें।
11. आपराधिक विवेचना में श्वान दल का उपयोग, आपराधिक विवेचना की अन्य विधायें, निगरानी की उपयोगिता तथा आपराधियों की गिरफ्तारी व सावधानी।
12. एस0आर0 केस की विवेचना में ध्यान रखने वाले बिन्दु।

**(छ) विवेचना (विधिक पक्ष):-**

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध व असंज्ञेय अपराध को लेखबद्ध करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ
2. झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही (182 दं0प्र0सं0)
3. विवेचक के अधिकार एवं अभियुक्त के अधिकार
4. अपराध स्वीकार करने वाले अपराधियों के बयान, स्वीकृति व संस्वीकृति का अंतर एवं संस्वीकृति के प्रकार
5. विवेचना में वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
6. गिरफ्तारी के प्रावधान एवं प्रक्रिया तथा अभिरक्षा
7. पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाने पर की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही।
8. अभियुक्त का रिमाण्ड प्राप्त करना विधि व प्रक्रिया
9. दूसरे स्थानों से तालमेल रखना व उसकी उपयोगिता
10. मृत्युकालिक घोषणा।
11. जमानत के सिद्धांत
12. तलाशी बरामदगी के दौरान बनाये जाने वाले अभिलेख एवं सावधानियाँ
13. कार्यवाही शिनाख्त (व्यक्ति व माल)
14. अन्तिम रिपोर्ट तथा आरोप पत्र तैयार करना।
15. शव का पंचायतनामा तैयार करना तथा पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने वाले अभिलेखों का ज्ञान।

**(ट) :- केस डायरी तैयार करने का व्यावहारिक ज्ञान -**

**1- शरीर के विरुद्ध अपराध :-**

1. हत्या
2. बलवा
3. बलात्कार
4. अपहरण
5. साधारण व गंभीर चोटें
6. वाहन एक्सीडेंट

**2- सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध :-**

1. नकबजनी
2. लूट व डकैती
3. वाहन चोरी
4. गबन

**3- निरोधात्मक कार्यवाही के अपराधों का वर्ग :-**

1. एन0एस0ए0
2. गैंगस्टर एक्ट
3. एन0डी0पी0एस0 एक्ट
4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत-जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी

**4- अनुसूचिम जाति/जनजाति अधिनियम के अपराधों की विवेचना केस डायरी तैयार करना।**

**(ठ) अभियोजन :-**

1. जनपदीय न्यायिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी।
2. विभिन्न न्यायालयों की शक्ति व कार्य विभाजन।
3. रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया एवं सुनवाई।
4. अभियोगों का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी/पैरोल की प्रक्रिया।
5. गवाहों की समस्यायें और उनका निराकरण।
6. अभियोगो से संबंधित माल मुकद्माती प्रदर्शों के रख-रखाव का ज्ञान।

- 1— विधि विज्ञान के सिद्धांत तथा अपराधिक विवेचनाओं में विधि विज्ञान का महत्व।
- 2—एफ0एस0एल0 एवं अन्य विशेषज्ञ संस्थान तथा पुलिस कार्य में उपयोग संबंधी विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संबंधी कानून।
- 3— घटना स्थल— परिभाषा, प्रकार, निरीक्षण के नियम एवं विधियाँ, घटनास्थल की सुरक्षा से लाभ तथा सिद्धांत एवं संभावनायें।
- 4— भौतिक साक्ष्य का महत्व, संभावित स्रोत, उपयोगिता, ढूंढना और एकत्र करना।
- 5— अंगुल चिन्ह – परिभाषा, महत्व, छाप के प्रकार एवं उठाने की प्रक्रिया, फिंगर प्रिन्ट का मिलान करना, सर्च फार्म एवं रिकार्ड फार्म का ज्ञान तथा इसका उपयोग, अंगुल छाप लेने हेतु सही स्थान के चुनाव की प्रक्रिया, अंगुल चिन्हों की छाप लेने की विधियाँ, अंगुल चिन्ह का चित्र लेना, दस अंकीय व एक अंकीय प्रणाली का ज्ञान।
- 6—पदचिन्ह (फुट प्रिन्ट) का महत्व, ढुंढना और उठाना, कास्टिंग, पहचान, तलुओं और जूतों के चिन्ह/प्रिन्ट्स पाद चिन्ह लेने के उपकरण।
- 7— शिनाख्त के लिये निम्नलिखित तथ्यों का महत्व :-
  1. बाल, धागे, रेशे, डायेट्स, परागगण, पत्तियों एवं बीज आदि।
  2. रक्त, रक्त के धब्बे, उतक, हड्डियाँ, लार, वीर्य अन्य द्रव्य।
  3. मिट्टी, धूल और मल।
  4. कॉच, पेन्ट, सीमेन्ट एवं मार्बल इत्यादि तथा बीडी एवं सिगरेट के टुकड़े।
  5. पेट्रोल, डीजल, सौन्दर्य प्रसाधन।
  6. विस्फोटक पदार्थ, जलावशेष (आर्सन केसेज)
  7. टायर मार्क्स एवं स्किड मार्क्स
- 8— **टॉक्सीलॉजी :-**
  1. विसरा प्रजर्वेशन
  2. अपराधों में प्रयोग किये जाने वाले विष(मृत एवं जीवित व्यक्तियों के संबंध में) प्रकार एवं उनकी पहचान—मुख्यतः आर्सेनिक, सल्फास, धतूरा, कीटनाशक इत्यादि एवं उनका मेडिको लीगल दृष्टि से ज्ञान।
  3. जहरखुरानी अपराधों में सामन्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली दवाईयाँ यथा डायजीपाम इत्यादि।
- 9 — **सिरोलॉजी/बायोलॉजी :-**
  1. मानव रक्त का वर्गीकरण, मानव तथा पशु रक्त में अंतर स्पष्ट करना। (बैंजडीन एवं जैल टेस्ट तथा एबजार्शन इल्यूशन टेक्नीक)
  2. बैंजडीन एवं जैल टेस्ट तथा एबजार्शन इल्यूशन टेक्नीक।
  3. घटनास्थल पर रक्त बिखरने के ढंग के आधार पर अपराध की प्रकृति का निर्धारण करना।
  4. घटनास्थल से रक्त/खून आलूदा कपड़े/मिट्टी इत्यादि एकत्रित करना तथा सैंपल सुरक्षित रखना एवं परीक्षण हेतु भेजने के लिये पैक करना।
  5. बलात्कार के घटनास्थल /पीड़ित से भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना एवं परीक्षण हेतु भेजना तथा इसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ।

## 10- डीएनए की जांच एवं उपयोगिता :-

1. डीएनए जांच का विभिन्न प्रकार के अपराधों की विवेचना में उपयोग एवं महत्ता।
2. डीएनए का सैपल लेना एवं पैक करना।
3. परीक्षण हेतु भेजने के लिये फार्म भरना एवं सैपल को सुरक्षित रखना तथा परीक्षण हेतु भेजना।

## 11- कैमिस्ट्री :-

1. विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ एवं द्रव्यों –सुरा (), एल्कोहल, टोडी, स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ तथा पौधे एवं पौधों का उत्पादन।
2. मादक पदार्थों /द्रव्यों का सैपल लेना एवं परीक्षण हेतु भेजना।
3. पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों आदि में मिलावट की सामान्य पहचान एवं रासायनिक परीक्षण हेतु नमूना भेजना।

## 12- अस्त्रक्षेप विज्ञान (बैलेस्टिक)

1. आग्नेयात्र, कारतूस, बुलट, छर्रे, टिकलियां, फायरिंग पाउडर के प्रकार, फायरिंग के द्वारा प्रभावित अन्य पदार्थ।
2. फायर की दूरी का निर्धारण, रिकोचेटिंग, नाइटाइट रेजीड्यू टेस्ट एवं विभिन्न प्रकार के मार्क्स।
3. घटनास्थल से अवशेषों को उठाना एवं भेजना।

## 13- एक्सप्लोसिव (विस्फोटक)

1. विस्फोटक पदार्थ, प्रकार एवं विस्फोटक पदार्थों की पहचान।
2. अवशेषों को उठाना, पैक करना एवं परीक्षण हेतु भेजना।
3. विस्फोटक पदार्थों /सामग्री से सावधानियाँ एवं बचाव के तरीकें।
4. बम डिस्पोजल स्क्वाड एवं उपकरण।

## 14- भौतिकी :-

1. यांत्रिक छाप और चिन्ह विश्लेषण (ट्रेस अनालिसिस)
2. मिटाये गये चिन्हों को पुनः जागृत करना, औजारों के चिन्ह, विभिन्न प्रदर्शों/सैपलो का मिलान करना।
3. वाहनों के चेसिस एवं इंजन नंबर मिटाना, परिवर्तित करना (परीक्षण एवं पहचान)

## 15- अभिलेख

1. समस्या और सिद्धांत
2. जालसाजी
3. लेख का मिटाना
4. लेख को परिवर्तित करना।
5. लेख को जोड़ना
6. लेख को खुरचना
7. हस्तलेख, टंकित लेख
8. छपालेख
9. कागज और स्याही
10. कम्प्यूटर प्रिंट आउट एवं इलेक्ट्रॉनिक टाईपराईटरों द्वारा जालसाजी।
11. जले एवं कटे-फटे अभिलेखों को ठीक प्रकार से उठाना, पैक करना एवं भेजना।
12. जाली सिक्के और नोट।

16—फोटोग्राफी (लिखित एवं व्यवहारिक)

1. घटनास्थल की फोटोग्राफी का महत्व एवं उपयोगिता
2. घटनास्थल का चित्र लेना।
3. इन्फ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज का भौतिक साक्ष्य ढूँढने तथा अनुसंधान में इनका प्रयोग एवं महत्व।

17— नारको एनेलिसिस

18— ब्रेन मैपिंग

### फॉरेंसिक साइंस (विधि विज्ञान)

1. विधि चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व तथा पुलिस कार्य में इसका स्कोप (क्षेत्र) व महत्व तथा अदालत में विशेषज्ञों की उपयोगिता।
2. मेडिको लीगल दृष्टि से घटनास्थल का निरीक्षण एवं विधि चिकित्सीय साक्ष्यों का एकत्रीकरण।
3. शारीरिक लक्षणों से व्यक्ति की पहचान, आयु, निर्धारित करने की विधि।
4. हत्या, आत्महत्या तथा दुर्घटना से मृत्यु/प्राकृतिक मृत्यु में अन्तर।
5. मृत्यु के कारण व समय का निर्धारण करना।
6. दम घुटने से मृत्यु/लटकने से मृत्यु(हैगिंग), गला कसने से मृत्यु(थाटलिंग) और श्वास बंद करके, डुबने से हुई मृत्यु
7. भूख से, लूट से व शीत के कारण हुई मृत्यु (हायपोथर्मिया)
8. आकाशीय बिजली गिरने/विद्युत स्पर्श से हुई मृत्यु एवं घावों के बारे में ज्ञान।
9. चोटों का वर्गीकरण
10. मृत्यु से पूर्व एवं मृत्यु के बाद की चोटों का ज्ञान।
11. धारदार हथियार द्वारा, नुकीले हथियार द्वारा, आग्नेयास्त्र से, जलने से, बारूद से आई चोटों का मेडिकोलीगल दृष्टि से ज्ञान।
12. यातायात दुर्घटनाओं से आई चोटों/मृत्यु का विधि चिकित्सीय पक्ष।
13. जलने से पूर्व एवं जलने के उपरान्त आई चोटों का ज्ञान।
14. मृत व्यक्तियों की पहचान।
15. जमीन से दबे मृतको का निकलवाना।
16. शव परीक्षा— विभिन्न प्रकार के विकृत शव व अस्थि अवशेषों का परीक्षण एवं पुराने कंकालों की पहचान।
17. मेडिकोलीगल दृष्टि से यौन अपराधों का ज्ञान—बलात्कार, आपराधिक गर्भपात एवं नवजात शिशुओं की हत्या।
18. मेडिकोलीगल दृष्टि से पागलपन के बारे में ज्ञान।

## व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं प्रयोग

1. क्राइम किट से विभिन्न प्रकार की प्राथमिक जाँचे किये जाने का व्यवहारिक ज्ञान यथा-रक्त मादक पदार्थ/द्रव्य, फिंगर प्रिन्ट, हस्तलेख एवं घटनास्थल इत्यादि।
2. घटनास्थल से अव्यक्त अंगुलि चिन्हों का उठाना एवं विकसित करना।
3. पदचिन्ह उठाना (कास्टिंग)
4. हस्तलेख का नमूना प्राप्त करना।
5. विभिन्न प्रकार के जले एवं कटे-फटे अभिलेखों को उठाना एवं पैक करना।
6. विभिन्न प्रकार के विषों की पहचान।
7. विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों की पहचान।
8. विस्फोटकों एवं उनके लक्षणों की पहचान।
9. घटनास्थल से प्राप्त विभिन्न प्रदर्शों का निरीक्षण उठाना, पैक करना।
10. घटनास्थल की फोटोग्राफी करना।
11. घटनास्थल का चित्र बनाना (नक्शा नजरी) और भौतिक साक्ष्यों को उसमें दर्शाना।
12. ट्रेप केसेज में रंगों और रसायनों का प्रयोग।

**षष्ठम समूह—भारतीय संविधान, मानवाधिकार तथा चुनौतियाँ, पुलिस का आचरण एवं व्यवहार तथा सामान्य ज्ञान**

कालांश – 100

पूर्णांक:— 100 अंक

**1— भारतीय संविधान :—**

1. मौलिक अधिकार :— :— अनुच्छेद 12 से 35
2. मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व :— अनुच्छेद 36 से 51, 51 ए
3. निर्वाचन :— अनुच्छेद 324 से 329, 330, 332, 340
4. आपात उपबन्ध :— अनुच्छेद 352, 353, 355, 356, 358, 359
5. शासकीय सेवकों को प्राप्त संरक्षण :— अनुच्छेद 311
6. राष्ट्रपति/राज्यपाल/राज्य के प्रमुखों का संरक्षण :— अनुच्छेद 361, 361क
7. जनहित याचिका(उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय)

**2— मानवाधिकार एवं उससे संबंधित समस्याएँ :—**

1. मानवाधिकार एवं पुलिस कार्य प्रणाली में उनकी महत्ता एवं उपयुक्तता।
2. मानवाधिकार के संरक्षण का संवर्धन में पुलिस की भूमिका।
3. पुलिस द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन।
4. हिरासत में हिंसा—सताया जाना, मृत्यु व बलात्कार, कारण एवं निवारण।
5. पुलिस द्वारा लागू किये जाने वाले विभिन्न कानूनों में मानवाधिकार के प्राविधान।
6. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार व उनके संरक्षण में पुलिस की भूमिका।
7. शिकायतकर्ताओं, अपराध के भुक्तभोगियों, संदिग्धों, गिरफ्तार व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार के संबंध में विभागीय निर्देश और न्यायिक मार्गदर्शन बिन्दु।
8. विधि विरुद्ध जमाव व भीड़ की ड्युटी में मानवाधिकारों का संबंध।
9. हथकड़ियों के उपयोग के संबंध में विभागीय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन
10. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग—कार्य एवं शक्तियाँ।

**4— जेण्डर सेंसाटाइजेशन/समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण :—**

1. भारत में महिलाओं की स्थिति तथा लैगिंग भेदभाव, उसके कारण एवं प्रकार।
2. महिलाओं के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के प्रकार—कारण एवं आकड़े।
3. पुलिस थाना स्तर पर पीड़ित महिला के प्रति पुलिस प्रतिक्रिया /पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यवहार व कानूनी दृष्टि से पुलिस का अपेक्षित व्यवहार।
4. विभिन्न अपराधों एवं अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से साक्षात्कार की विधियाँ।
5. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के अन्वेषण एवं अभियोजन में कमियाँ एवं सुधार।
6. पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थिति (कार्यक्षेत्र में लैंगिक समानता)
7. महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अत्याचार संबंधी विधिक प्राविधान एवं न्यायालयों के निर्णय।



8. पुलिस का समाज के दलित व पिछड़े वर्गों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण तथा वर्तमान स्थिति व अपेक्षित व्यवहार।
9. मानसिक रूप से बीमार, विकलांग, नशेड़ी, पागल व आत्मघाती व्यक्ति के बारे में पुलिस का दृष्टिकोण एवं व्यवहार।
10. महिला/बच्चों/बृद्ध तथा अकेले रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों के प्रति पुलिस का दृष्टिकोण एवं उत्तरदायित्व।
11. खोये-पाये बच्चों के प्रति पुलिस का दृष्टिकोण एवं उत्तरदायित्व।

#### 4- पुलिस का आचरण :-

1. पुलिस आचरण के सिद्धांत।
2. पुलिस का जनता से अच्छे सम्बन्धों की आवश्यकता।
3. पुलिस का जनता, जनप्रतिनिधियों के साथ संबंध-महत्व एवं आवश्यकता।
4. जनसंपर्क विकसित करने की विधियाँ-पब्लिक रिलेशन एवं पुलिस कम्युनिटी रिलेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग
5. पुलिस का स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों से संबंध एवं तालमेल
6. पुलिस का पर्यटकों से सहयोगात्मक/मधुर व्यवहार- आवश्यकता एवं महत्व।

#### 5- पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ :-

1. आतंकवाद-कश्मीर एवं अन्य राज्यों पर उसका प्रभाव।
2. भारत में आई0एस0आई0 की गतिविधियाँ।
3. विघटनकारी शक्तियों यथा पूर्वी उ0प्र0 में नक्सलवादी गतिविधियाँ, पीपुल्स बार ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी संगठन एवं इनकी गतिविधियों को रोकने के उपाय।
4. भारत के पड़ोसी देशों से संबंध-चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश
5. भारत की अन्तर्राष्ट्रीय महाशक्तियों से संबंध।

#### 6- आतंकवाद (प्राजेक्ट वर्क तथा प्रस्तुतीकरण) :-

- 1- विभिन्न आतंकवादी संगठनों का विवरण उसका मुखिया तथा ठिकाने।
- 2- हाल में हुई जघन्य आतंकवादी घटना का अध्ययन -
  - (क) मृत एवं घायल व्यक्तियों की संख्या।
  - (ख) घटना में संलिप्त मुख्य अपराधी/आतंकवादी संगठन।
  - (ग) घटना में इस्तेमाल की गई विस्फोटक सामग्री एवं डिवाइसों की जानकारी तथा प्रयोग का तरीका।
  - (घ) पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।
  - (ङ) घटना की अद्यतन स्थिति।
  - (च) घटना का अनावरण किस प्रकार किया गया।
  - (छ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

#### 7- सामान्य ज्ञान -

### (क) शरीर विज्ञान

1. मानव शरीर की संरचना (एनाटॉमी) एवं मानव क्रियायें (फिजियोलॉजी) का सामान्य ज्ञान।
2. एच0आई0वी0 एड्स का ज्ञान एवं बचाव के उपाय।
3. विभिन्न संक्रामक रोग एवं उनसे बचाव के उपाय यथा—मलेरिया, डेंगू, तपेदिक, हैजा एवं अन्य रोग
4. मादक पदार्थ/द्रव्य यथा—तम्बाकू, धूमपान, गुटखा, शराब इत्यादि के सेवन से मानव शरीर में हानियाँ एवं इसके बचाव।
5. विभिन्न प्रकार के ड्रग यथा—स्मैक, हेरोइन, नशीली दवाइया/इंजेक्शन इत्यादि के सेवन/प्रयोग से दुष्परिणाम एवं इसके बचाव के उपाय।

### (ख) आर्थिक (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था
2. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर
3. संसाधनों का वितरण—रूपया कर्हों से आता है।
4. प्रदेश का बजट प्राथमिकता एवं चुनाव।
5. पुलिस बजट एवं उसका वितरण
6. कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार

### (ग) भारत का भूगोल (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ
2. भारत के मानचित्र की व्याहारिक जानकारी तथा पड़ोसी देशों की सीमायें।
3. प्राकृतिक भाग, मुख्य औद्योगिक नगर, रेलवे लाइन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, मुख्य नदियाँ।

### (घ) सामान्य जानकारी (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर
2. अखिल भारतीय पुलिस ड्युटी मीट
3. उपलब्धियाँ तथा पुरुस्कार
4. विभिन्न खेल प्रतियोगितायें
5. विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व
6. विख्यात पुस्तकें।
7. लब्ध प्रतिष्ठित पदों के प्रमुख।

### (ङ) नवीन राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र (स्वाध्याय हेतु विषय)

### (च) पर्यावरण (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान।
2. पर्यावरण संरक्षण।

### (छ) नवीन राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र (स्वाध्याय हेतु विषय)

# षष्ठम समूह—कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस एवं पुलिस दूरसंचार प्रणाली।

कालांश – 100

पूर्णांक:— 100 अंक

1. कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता।
2. कम्प्यूटर का परिचय, सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली।
3. कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर
4. **कम्प्यूटर का संगठन (सी०पी०यू०)** :-इनपुट, आउटपुट, ए०एल०यू०, सी०यू०, मैमोरी
5. **इनपुट डिवाइस** :- की बोर्ड, माउस, स्कैनर, आवाज को इनपुट करने तथा पहचानने वाले सिस्टम, ओ०एम०आर०, कार्ड रीडर, वेब कैमरा
6. **आउटपुट डिवाइस** :- प्रिन्टर और उसके प्रकार, मॉनीटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, वाइस रिसर्च सिस्टम, स्पीकर।
7. **स्टोरेज यूनिट** :- प्राइमरी एवं सैकेण्डरी मैमोरी के प्रकार तथा उदाहरण सहित।
8. **कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर** :- सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का परिचय
9. ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक—डेस्कटॉप के पोप—अप मेन्यू के सभी विकल्प, सिस्टम आईकॉन मेन्यू के विकल्प, आइकॉन और उनके प्रकार, टास्कबार, विन्डो के अवयव।
10. **विन्डोज द्वारा फाइल प्रबन्ध** :- फाइल, फोल्डर, फोल्डर ट्री, फाइलों और फोल्डरो को सिलेक्ट करना, फाइल और फोल्डर को बनाना, फाइल और फोल्डर को नामाकरण और पुनः नामाकरण, विन्डोज एक्सप्लोरर को कस्टमाइज करना।
11. **कम्प्यूटर वायरस :-**
  - 1—कम्प्यूटर वायरस का ज्ञान।
  - 2— एन्टी वायरस प्रोग्राम का ज्ञान।
12. **इंटरनेट का परिचय**
  - 1—इंटरनेट एवं इसकी विशेषतायें
  - 2— **इंटरनेट की सेवायें** :- इंटरनेट के अवयव, यू०आर०एल०,
  - 3—**इंटरनेट प्रोटोकॉल:- आई०पी०, टी०सी०पी०, वी०ओ०आई०पी०।**
  - 4— इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले उपकरण क्लाइन्ट, कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, मॉडम।
  - 5— सर्च इंजन— प्रचलित सर्च इंजिन के द्वारा किसी वेब साइट को सर्च करना तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।
  - 6— वेब साइट के अवयव— हाइपर लिंक, हाइपरटेक्स्ट, होमपेज, लिंक, डाउनलोड, अपलोड, इत्यादि।
  - 7— ब्राउजर्स— डेस्कटॉप, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब ब्राउजर्स, वेब एड्रेस, हिरटरी, फेवरेट बटन तथा महत्वपूर्ण इंटरनेट टूल्स।
  - 8— ई—मेल का परिचय एवं विशेषतायें।
  - 9— ई—मेल मैसेज की संरचना— ई—मेल एड्रेसिंग सिस्टम, हेडर बॉडी, अटैचमेन्ट्स, सिग्नेचर, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
  - 10— ई—मेल एड्रेस बनाना तथा ई—मेल भेजना एवं प्राप्त करने का व्यवहारिक ज्ञान।
  - 11— ई—मेल प्रोटोकॉल्स — एस०एम०टी०पी०, पी०ओ०पी०३, आई०एम०ए०पी०४

### 13. इन्टरनेट की अन्य सेवायें :-

- 1- इन्टरनेट के माध्यम से कान्फ्रेंसिंग व कम्प्यूटर के माध्यम से किसी अन्य बेसिक फोन, मोबाइल पर बात-चीत करना अर्थात वीओआईपी का प्रयोग करना।
- 2- ऑन लाईन टेलीफोन डायरेक्ट्री को एक्सेस करना।
- 3- चोरी अथवा बरामद वाहनों, अज्ञात शवों, खोये/बरामद गुमशुदाओं की ऑन लाईन जानकारी प्राप्त करना।
- 4- एनओसीआरबी/एसओसीआरबी एवं राज्य पुलिस की साइट को एक्सेस करना।
- 5- वाई-फाई के माध्यम से लैपटॉप को कनेक्ट करना।
- 6- ई-मेल ट्रेस करना।

### 14. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड

- 1- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को कम्प्यूटर पर स्थापित करना।
- 2- माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय
- 3- माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नये डॉक्यूमेंट को बनाना व सेव करना।
- 4- कम्प्यूटर में मौजूद वर्ड की फाइलों को खोलना तथा फारमेटिंग टूल बार के माध्यम से उसमें एडिटिंग करना।
- 5-फाईल में किसी शब्द को खोलना तथा उसको परिवर्तित करना
- 6- स्पैलिंग व ग्रामर की गलतियों को सुधारना।
- 7- डाक्यूमेंट में फारमेटिंग करना:- फॉन्ट का ज्ञान/बदलना, फॉन्ट साईज बदलना, एनार्डनमेन्ट सेट करना।
- 8- टेक्स्ट को कलर करना, फारमेट पेन्टर बटन के प्रयोग से फारमेटिंग को कॉपी/पेस्ट करना/अनडू/रीडू का प्रयोग, बोल्ड इटालिक, अन्डरलाइन करना, डॉप केस अथवा चेन्ज कसे का प्रयोग।
- 9- डाक्यूमेंट में पेज ब्रेक्स, हेडर, पेज नम्बर, फोटो सिम्बल, क्लिप आर्ट आदि इनसर्ट करना।
- 10- डाक्यूमेंट में टेबिल बनाना तथा उसमें कार्य करना।
- 11- डाक्यूमेंट का प्रिन्ट प्रिव्यू अथवा प्रिन्ट विकल्पों की जानकारी।

### 15. माइक्रोसॉफ्ट पॉवरप्वाइंट

- 1-पावर प्वाइंट का परिचय एवं विशेषतायें
- 2- प्रस्तुतीकरण स्लाइड बनाना।
- 3- ऑटो कन्टेंट विजार्ड से प्रस्तुतीकरण बनाना।
- 4- व्यू का प्रयोग करना।
- 5- प्रस्तुतीकरण में वीडियो डालना।
- 6- स्लाइड में पाठ्य जोड़ना।
- 7- स्लाइड में क्लिप आर्ट जोड़ना।
- 8- एनीमेशन प्रभाव डालना।
- 9- ऑडियो वीडुअल प्रभाव जोड़ना।
- 10- प्रस्तुतीकरण को चलाना।
- 11- वेब पेज की तरह सुरक्षित करना।

### 16. सीओसीटीएनएस :-

- 1-सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी।

- 2- सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के आम जनता को हाने वाले लाभ।
- 3- सी.सी.टी.एन.एस. प्राजेक्ट के विवेचक को होने वाले लाभ।
- 4- सी.सी.टी.एन.एस. प्राजेक्ट से थाने के कर्चचारियों को होने वाले लाभ।
- 5- सी.सी.टी.एन.एस. प्राजेक्ट से जनपद के अधिकारियों को होने वाले लाभ।

**17. कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर :-**

- 1-जे0डी0के0 इन्सटालेशन।
- 2- माई एस.क्यू.एल. सरवर इन्सटालेशन।
- 3- कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्सटालेशन।
- 4- क्रियेट डी.बी. स्क्रिप्ट
- 5- क्रियेट ऑफ लाइन यूजर
- 6- क्रियेट डाटा बेस।
- 7- फॉर्म को भरना।

**18. इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस :-**

- 1-इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस:- कानूनी प्राविधान तथा अनुमति
- 2- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस- विधि एवं कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता।
- 3- मोबाइल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न फंगशनों का प्रयोग।
- 4- लैण्ड लाइन एवं डब्लू0एल0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली
- 5- प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नम्बर।
- 6- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस- विभिन्न उपयोगी उपकरण।
- 7- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस- कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।
- 8- फोन टेपिंग- मोबाइल पर संदिग्धों/अपराधियों को सूचना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
- 9- विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।

**19. पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली:-**

- 1-पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली (वायरलैस संचार) आवश्यकता एवं विधि।
- 2- वी0एच0एफ0, रिपीटर, यू0एच0एफ0 संचार प्रणाली तथा सी0सी0आर0, डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली।
- 3- एच0एफ0 इलेक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर, आर0टी0वाई0 तथा आधुनिक संचार की विधियाँ-सैटैलाइट कम्यूनिकेशन (पोलनेट), ऑप्टिकल फाइबर आदि।
- 4- रेडियो संदेश बनाना, लिखना, संदेशों का वर्गीकरण एवं इनकी प्राथमिकताएं।
- 5-वायरलैस सेटो की हैण्डलिंग, पुलिस वायरलैस सेटो/सिस्टम में आने वाली सामान्य कमियाँ एवं उनका निवारण।

## परिशिष्ट – स

### उपनिरीक्षक अभिसूचना का 15 दिवस का विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सप्तम् नवम् ए— अभिसूचना विभाग का 15 दिवस का विशेष प्रशिक्षण

1. अभिसूचना विभाग का संगठन/ढाँचा।
2. अभिसूचना संकलन की तरीके।
3. सूत्र गठन (सोर्स बिल्डिंग)
4. सूत्र की ब्रीफिंग/डी ब्रीफिंग
5. गोपनीय जांच।
6. कवर एवं एलिवाइ
7. पासपोर्ट तथा पासपोर्ट के प्रकार।
8. वीजा तथा वीजा के प्रकार।
9. इमिग्रेशन चैक पोस्ट, कार्य व अभिलेख।
10. स्थानीय अभिसूचना इकाई के अभिलेख।
11. पर्सनल फाइल/जनरल फाइल/कार्डिंग
12. वी0आई0पी0 सुरक्षा/रिंग राउण्ड/एस्कार्ट/वी0आई0पी0 फ्लीट का ज्ञान।
13. पाकिस्तान इन्टेलिजेंस एजेन्सी आई0एस0आई0
14. भारत के सक्रिय आतंकवादी/उग्रवादी संगठन
15. सिमी के उद्देश्य एवं कार्यकलाप।
16. मुस्लिम संगठन/इतिहास/कार्यकलाप।
17. राजनैतिक पार्टियां/ढाँचा/सिद्धांत एवं कार्यकलाप।
18. साम्यवादी पार्टियाँ/ढाँचा/सिद्धांत एवं कार्यकलाप।
19. छात्र संगठन एवं आन्दोलन
20. हिन्दू संगठन/इतिहास/कार्यकलाप
21. मजदूर संगठन इतिहास/कार्यकलाप
22. नक्सलपंथी आन्दोलन
23. उत्तराखण्ड/नेपाल सीमा पर माओवादी गतिविधियाँ
24. एच0एम0एम0डी0/डी0एफ0एम0डी0 पर फ्रिस्किंग/चेकिंग
25. रिपोर्ट राइटिंग
26. पूछताछ /निगरानी/जासूसी
27. एन्टी सवोटाज चैक/उपकरणों की जानकारी
28. महत्वपूर्ण संस्थानों /हवाई अड्डों की सुरक्षा का ज्ञान।
29. पाकिस्तानी /विदेशी शाखा का ज्ञान।

## पाठ्यक्रम वाह्य विषय

### 1- पदादि प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 50 अंक

कालांश :- 82

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	टर्न आउट	05	.....
2	स्कावड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशीप	10	26
3	व्यक्तिगत योग्यता/प्रशिक्षकीय क्षमता	05	.....
4	शस्त्र ड्रिल/रायफल एक्सरसाइज	05	20
5	रैतिक ड्रिल एवं सम्मान गार्द	05	10
6	गार्द माउटिंग	05	10
7	किर्च/केन ड्रिल	05	05
8	शोक कवायद/हर्ष फायर	04	05
9	ई०ओ०डी०।	06	06
<b>योग</b>		<b>50</b>	<b>82</b>

### 2- पुलिस प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 70 अंक

कालांश :-95

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	एन्टी डकैती ड्रिल	06	15
2	दंगा नियन्त्रण/बलवा ड्रिल	10	25
3	बैत ड्रिल	08	05
4	टियर स्मोक ग्रेनेड (एण्टी रॉयट गन), शैल गन	08	15
5	रैस्पीरेटर ड्रिल	05	05
6	जलूस एवं मेले के समय पुलिस प्रबंध/ व्यवस्था	06	10
7	यातायात नियंत्रण ड्रिल	08	05
8	सड़क पंक्ति	06	05
9	प्राथमिक चिकित्सा	05	05
10	अग्निशमन एवं बचाव कार्य /आपदा प्रबन्धन	08	05
<b>योग</b>		<b>70</b>	<b>95</b>

### 3- शस्त्र प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 100 अंक

कालांश :- 70

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
<b>फायरिंग (60 अंक एवं 15 कालांश)</b>			
1	.303 बोर रायफल (गुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	10	<b>15 कालांश</b>
2	7.62 एमएम एस0एल0आर0 रायफल (गुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	10	
3	.303 एल0एम0जी0 (गुपिंग, एप्लीकेशन, सिंगलशट, बस्ट फायर)	05	
4	9एमएम स्टेन/9एमएम कार्बाइन (बैटल, क्राउच, एम)	10	
5	.38 बोर रिवाल्वर/9एमएम पिस्टल (गुपिंग, अटैक, डिफेंस, ओन, बैटल क्राउच, स्काउटिंग पोजीशन)	15	
6	रबड़ बुलेट फायरिंग	05	
7	ग्रिनेड थ्रो व फायरिंग	05	
<b>वेपेन्स थ्योरी (40 अंक एवं 55 कालांश)</b>			
1	.303 बोर रायफल फायर ट्रेच करना एवं वेपन पिट करना।	06	05
2	7.62 एमएम एस0एल0आर0/ए0के0 47 रायफल एवं 5.56 एम0एम0 इन्सास रायफल थ्योरि	06	05
3	9एमएम स्टेन/9एमएम कार्बाइन थ्योरी	04	08
4	.303 एल0एम0जी0 थ्योरी/7.62 एमएम एल0एम0जी0	08	08
5	9एमएम पिस्टल/रिवाल्वर	08	14
6	जी0एफ0 रायफल/मिनी प्लेयर/ग्रिनेड	04	05
7	आई0ई0डी0, बूबी ट्रेप्स व एक्सप्लोसिव का ज्ञान एवं सावधानियाँ तथा पहचान एवं निष्क्रिय करना।	04	10
<b>सम्पूर्ण योग</b>		100	70



#### 4- शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक दक्षता

पूर्णांक:- 80 अंक

कालांश :-72

(1) शारीरिक प्रशिक्षण :-

पूर्णांक:- 30

कालांश:- 40

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	पी०टी० एक्सरसाइज	06	1	पी०टी० एक्सरसाइज	06
2	कमाण्ड लीडरशिप	05	2	कमाण्ड लीडरशिप	05
3	चौड़ा घोड़ा	03	3	चौड़ा घोड़ा	05
4	लंबा घोड़ा	03	4	.....	.....
5	बीम (संख्या के आधार पर अंको का विभाजन)	04	5	.....	.....
6	सामने लुढक	02	6	सामने लुढक	04
7	पीछे लुढक	02	7	पीछे लुढक	04
8	रस्सा	05	8	रस्सा	06
<b>योग</b>		<b>30</b>	<b>योग</b>		<b>30</b>

बीम :-

क्र०सं०	संख्या	पूर्णांक
1	08 बीम लगाने पर	04
2	06 बीम लगाने पर	03
3	04 बीम लगाने पर	02
4	02 बीम लगाने पर	0

(2) यू०ए०सी०

कालांश- 06

पूर्णांक:- 05 अंक

पुरुष वर्ग		महिला वर्ग	
विषय	अंक	विषय	पूर्णांक
यू०ए०सी०	05	यू०ए०सी०	05

(3) योगासन

कालांश-06

पूर्णांक:- 05 अंक

विषय	पूर्णांक
सूर्य नमस्कार / योगासन	05

शारीरिक दक्षता :-

कालांश 20

पूर्णांक:- 40 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	क्रिकेट बॉल थ्रो	05	1	क्रिकेट बॉल थ्रो	05
2	लम्बी कूद 16 फीट	06	2	लम्बी कूद 13 फीट	06
3	क्रास कन्ट्री 03 कि०मी०	10	3	दौड़ 1500 मीटर	10
4	दौड़ 400मीटर	08	4	दौड़ 400मीटर	08
5	दौड़ 100 मीटर	06	5	दौड़ 100 मीटर	06
6	सिट-अप 50 एक मिनट में	05	6	रस्सी कूद 50 एक मिनट में	05
		<b>योग</b>			<b>योग</b>
		<b>40</b>			<b>40</b>

शारीरिक दक्षता के उक्त विषयों का दूरी/समय के अनुरूप अंको का वर्गीकरण :-

(1) क्रिकेट बॉल थ्रो

पूर्णांक:- 05 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	दूरी	अंक	क्र०सं०	दूरी	अंक
1	60 मीटर थ्रो	05	1	35 मीटर थ्रो	05
2	55 मीटर थ्रो	04	2	30 मीटर थ्रो	04
3	50 मीटर थ्रो	03	3	25 मीटर थ्रो	03
4	45 मीटर थ्रो	02	4	20 मीटर थ्रो	02

(2) लम्बी कूद

पूर्णांक:- 06 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	दूरी	अंक	क्र०सं०	दूरी	अंक
1	16 फीट	06	1	13 फीट	06
2	15 फीट	05	2	12 फीट	05
3	14 फीट	04	3	11 फीट	04
4	13 फीट	03	4	10 फीट	03
5	12 फीट	02	5	09 फीट	02

(3) क्रास कन्ट्री 03 कि०मी०(पुरुष) / 1500मीटर दौड़ (महिला)

पूर्णांक:- 10 अंक

पुरुष वर्ग क्रास कन्ट्री 03 कि०मी०			महिला वर्ग 1500मीटर दौड़		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	14 मिनट में	10	1	07.30 मिनट में	10
2	14.01 से 15 मिनट तक	09	2	07.31 से 08.00 मिनट तक	09
3	15.01 से 16 मिनट तक	08	3	08.01 से 08.30 मिनट तक	08
4	16.01 से 17 मिनट तक	07	4	08.31 से 09.00 मिनट तक	07
5	17.01 से 18 मिनट तक	06	5	09.01 से 09.30 मिनट तक	06
6	18.01 से 20 मिनट तक	05	6	09.31 से 10.00 मिनट तक	05

(3) दौड़ 400 मीटर

पूर्णांक:- 08 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	01.10 मिनट में	08	1	01.40मिनट में	08
2	01.11 से 01.15 मिनट तक	07	2	01.41 से 01.45 मिनट तक	07
3	01.16 से 01.20 मिनट तक	06	3	01.46 से 02.00 मिनट तक	06
4	01.21 से 01.25 मिनट तक	05	4	02.01 से 02.05 मिनट तक	05
5	01.26 से 01.30 मिनट तक	04	5	02.06 से 02.10 मिनट तक	04

(4) दौड़ 100 मीटर

पूर्णांक:- 06 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	13.00 सेकेण्ड में	06	1	15.00 सेकेण्ड में	06
2	13.01 से 13.30 सेकेण्ड में	05	2	15.01 से 15.30 सेकेण्ड में	05
3	13.31 से 14.00 सेकेण्ड में	04	3	15.31 से 16.00 सेकेण्ड में	04
4	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	03	4	16.01 से 16.30 सेकेण्ड में	03

(3) सिट अप पुरुष/रस्सी कूद महिला

पूर्णांक:- 05 अंक

पुरुष वर्ग (सिट-अप 50)			महिला वर्ग- रस्सी कूद (50 जम्प )		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	02.00 मिनट में	05	1	02.00 मिनट में	05
2	02.01 से 02.30 मिनट तक	04	2	02.01 से 02.30 मिनट तक	04
3	02.31 से 03.00 मिनट तक	03	3	02.31 से 03.00 मिनट तक	03
4	03.01 से 03.30 मिनट तक	02	4	03.01 से 03.30 मिनट तक	02

## 5— फील्ड क्राफ्ट एवं दस्यू उन्मूलन तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण

पूर्णांक:— 80 अंक

कालांश :—88

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	<b>फील्ड क्राफ्ट :-</b>		<b>24</b> कालांश
	ऑब्जरवेशन :- दिन एवं रात्रि	04	
	केमोफ्लाइज / कन्सीलमेंट	04	
	संतरी के कर्तव्य	04	
	जंगी चाल, खाली हाथ / शस्त्रों के साथ, आडो के प्रकार	04	
	फायर कन्ट्रोल आर्डर	04	
2	<b>आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण</b>		<b>30</b> कालांश
	आतंकवादी क्षेत्र में मोबाइल चैक पोस्ट लगाना	04	
	रोड़ बैरियर चैकिंग	04	
	गुरिल्ला टैक्टिक्स	04	
	कानवाँय एवं स्कोर्ट ड्युटी / सावधानियाँ	04	
3	तलाशी—व्यक्ति, मकान, गाडी, गाँव एवं क्षेत्र की तलाशी	06	04
4	आतंकवादी के स्थान पर दबिश डालना	06	04
5	एम्बुश करना एवं एम्बुश से बचना, इमिडियेट एक्शन ड्रिल	06	04
6	पैदल एवं गाडी से क्षेत्र में गश्त करना।	06	04
7	<b>प्लान ड्राइंग</b>		<b>10</b> कालांश
	दिशाओं का ज्ञान, कम्पास से रीडिंग पढना, मैप रीडिंग, रात्रि में मार्च करना, ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउण्ड	06	
	सैंड मॉडल का प्रयोग, ब्रीफिंग व डी-ब्रीफिंग एवं डिस्कशन	04	
<b>योग</b>		<b>70</b>	<b>80</b>

(4) बी०ओ०ए०सी० :- 08 कलांश

पूर्णांक:— 10 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	क्र०सं०	विषय	पूर्णांक
1	सीधा बैलेन्स	01	1	सीधा बैलेन्स	01
2	किलियर जम्प	01	2	किलियर जम्प	01
3	टेड़ा बैलेन्स	01	3	टेड़ा बैलेन्स	01
4	डबल बीम	01	4	डबल बीम	01
5	डबल डिंच	01	...	.....	----
6	मंकी रोप	01	5	मंकी रोप	02
7	स्वंगिंग रोप	01	6	स्वंगिंग रोप	01
8	12 फीट बाधा दीवार	02	7	50मीटर फिनिश दौड़	01
9	धुस	01	8	धुस	02
<b>योग</b>		<b>10</b>	<b>योग</b>		<b>10</b>

## एम0टी0 प्रशिक्षण

कालांश :- 35

पूर्णांक:- 20 अंक

क्र0सं0	विषय	अंक
1	मोटर साईकिल (व्यवहारिक)	05
2	जीप ड्राइविंग एवं रखरखाव	10
3	एम0टी0 थ्योरी	05
		योग
		20

**संसोधन**  
**द्वारा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।**

**अन्तः कक्ष विषय**

**प्रथम समूह दण्ड प्रक्रिया संहिता**

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 4 के अर्न्तगत धारा 37 व 40
2. अध्याय 06 के अर्न्तगत गिरफ्तारी का वारण्ट 70 से 74 तथा उद्घोषणा और कुर्की 82 से 86

**द्वितीय समूह केन्द्रीय विविध अधिनियम**

1. पुलिस अधिनियम 1861 के स्थान पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 महत्वपूर्ण धारायें
2. राज्य के अधिनियम में क्रमांक 04 पर उ0प्र0 गोवध अधिनियम के स्थान पर उत्तराखण्ड गोवध संरक्षण अधिनियम 2007
3. यू0पी0 पी0ए0सी0 एक्ट 1948 को समाप्त किया जाय क्योंकि उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 13 में उत्तराखण्ड राज्य में सशस्त्र बटालियनों का गठन प्रशिक्षण, तैनाती और प्रशासन, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार होगा।

**तृतीय समूह कानून एवं व्यवस्था,पुलिस रेग्युलेशन एवं कर्तव्य तथा पुलिस संगठन**

1. तृतीय समूह में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के स्थान पर उत्तराखण्ड राज्य आचरण नियमावली लिखा जाय।

**पंचम समूह कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा इलैक्ट्रॉनिक सर्बेलांस एवं पुलिस दूरसंचार प्रणाली**

1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अर्न्तगत सी0सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर के स्थान पर सी0सी0टी0एन0एस0 सॉफ्टवेयर के विषय में विविध जानकारी।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अर्न्तगत प्रोट्रेट विल्डिंग सिस्टम के स्थान पर सी0सी0टी0एन0एस0 के कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के समस्त इंस्टालेशन की कार्यवाही।

**वाह्य विषय**

1. पुलिस प्रशिक्षण के अर्न्तगत वाहन प्रबन्ध ड्रिल को हटा दिया गया है क्योंकि इसका वास्तविक रूप से पुलिस ड्युटी में कोई महत्व नहीं है।
2. पुलिस प्रशिक्षण की महत्ता को देखते हुये इसके कालांश 60 से बढ़ाकर 95 कर दिये गये हैं।
3. पुलिस प्रशिक्षण की महत्ता को देखते हुये बढ़ाये हुये कालांशो को शस्त्र प्रशिक्षण के कालांशों में घटाया गया है। जिससे शस्त्र प्रशिक्षण प्रभावित नहीं होगा।
4. पदादि प्रशिक्षण को 10 अंक घटाकर 50 अंक तथा पुलिस प्रशिक्षण को 10 अंक बढ़ाकर 70 अंक कर दिया गया है।